रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2003/कार्तिक 7, 1925
No. 523] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2003/KARTIKA 7, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 3 अक्तूबर, 2003

सं. फेमा 102/2003-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 847(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 22/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः,

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।

   (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) विनियमावली, 2000 के विनियम 2(छ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः,

   "(ज) "स्वाश्रयी आधार" का मतलब ऐसा शाखा कार्यालय जो केवल विशेष आर्थिक अंचल तक ही सीमित होगा और उसे भारत में विशेष आर्थिक अंचल से बाहर, जिसमें भारत में उसके मूल कार्यालय की शाखाएँ/सहायक कंपनियां शामिल होंगी, कारोबार कार्यकलाप/लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।"

   मौजूदा खण्ड (ज) को (झ) संख्या दी जाएगी।

3. विनियम 3 में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा :

   "यह उपबंधित किया जाता है कि कंपनी को विशेष आर्थिक अंचल (एसईज़ेड) में विनिर्माण और सेवा कार्यकलापों के लिए शाखा/इकाई स्थापित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा और यह भी उपबंधित किया जाएगा कि :

I. ऐसी इकाइयां उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहां पर शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।

II. ऐसी इकाइयां कंपनी अधिनियम (धारा 592 से 602 तक) के भाग XI का अनुपालन करेंगी।

III. ऐसी इकाइयां स्वाश्रयी आधार पर कार्य कर सकती हैं।

IV. कारोबार समाप्त करने और समापन आय के प्रेषण की दशा में 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी के विनियम 6(1)(iii) में (क) के सिवाय सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी शाखा से संपर्क करेंगी।"

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd October, 2003

No. FEMA 102/2003-RB

Foreign Exchange Management (Establishment in India of branch or office or other place of business) (Second Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 847(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 22/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) Regulations, 2000, as amended from time to time namely :

Short title and commencement

1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) (Second Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Government of Inda.

Amendment of the Regulations

2. In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Office or other Place of Business) Regulations 2000, in Regulation 2, the following clause shall be inserted after (g) namely :—

"(h) 'Stand alone basis' means such branch offices would be isolated and restricted to the Special Economic Zone alone and no business activity/transaction will be allowed outside the Special Economic Zones in India which includes branches/subsidiaries of its parent office in India."

The existing clause (h) may be renumbered as (i).

3. In Regulation 3, the following proviso shall be added :

"Provided that no approval shall be necessary from RBI for a company to establish a branch/unit in Special Economic Zones (SEZs) to undertake manufacturing and service activities. Provided further that :

I. such units are functioning in those sectors where 100 per cent FDI is permitted.

II. such units comply with part XI of the Companies Act (Section 592 to 602),

III. such units function on a stand-alone basis,

IV. in the event of winding-up of business and for remittance of winding-up proceeds, the branch shall approach an Authorised Dealer in Foreign Exchange with the documents except (A) listed in Regulation 6(1)(iii) of Notification No. FEMA 13/2000-RB dated 3rd May, 2000."

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

USHA THORAT, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 13 अक्तूबर, 2003

अधिसूचना सं. फेमा 103/2003-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 848(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ज) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 7/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: ,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित जोड़े जाएंगे, नामत:,

"(3) अपने पास प्रस्तुत आवेदन पर भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निगमित किसी कंपनी को जिसका विदेश में कार्यालय हो, भारत से बाहर अपने कारोबार तथा अपने स्टाफ़ के आवास के प्रयोजन से, आवश्यक समझे जाने वाले नियम और शर्तों के अधीन, अचल संपत्ति का अभिग्रहण करने की अनुमति दे सकता है।"

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th October, 2003

Notification No. FEMA 103/2003-RB

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 848(E).—In exercise of powers conferred by clause (h) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial Modification of its Notification No. FEMA 7/2000-RB dated 3rd May 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) Regulations, 2000, namely,

1. **Short title and commencement**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) These shall come into effect on their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment to the Regulations**

In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) Regulation, 2000 in Regulations 5, after Sub-Regulation (2) the following shall be added, namely :—

"(3) Reserve Bank may, on an application made to it, permit a company incorporated in India having overseas offices, to acquire immovable property outside India for its business and for residential purposes of its staff, subject to such terms and conditions as may be considered necessary."

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

USHA THORAT, Executive Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.